

# भारतीय भेषजी परिषद

( भेषजी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत स्थापित )

## PHARMACY COUNCIL OF INDIA

( CONSTITUTED UNDER THE PHARMACY ACT, 1948)

Telegram : 'फार्मकाउसिल' 'FARMCOUNCIL'

दूरभाष फैक्स Fax

Telephone: 23239184, 23231348 : 011-23239184

ई-मेल E-Mail

pci@ndb.vsnl.net.in

वेबसाईट Website : www.pci.nic.in

संयुक्त परिषद् भवन कोटला रोड

Combined Councils' Building

ऐवान-ए-गालिब मार्ग

Kotla Road Aiwan-E-Ghalib Marg

पोस्ट बॉक्स नं. 7020

Post Box No. 7020 नई दिल्ली - 110002 New Delhi - 110002

11 JUL 2014

Ref. No. 14-1/2014-PCI Pt-1 20417-22356

### All institutions approved by PCI

- u/s 12 of the Pharmacy Act,1948 a)
- b) Conduct of Course.

Sub.: Online undertaking and NAAC accreditation of the institutions - regarding.

Ref.: Our Circular Nos .-

- i) 14-1/2006-PCI-96-919 dt.6.4.2007
- ii) 14-1/2006-PCI-11180-958 dt.20.11.2007
- iii) 14-1/2006-PCI-15725-16503 dt.4.2.2008
- iv) 14-1/2006-PCI Pt.I-1080-2087 dt.23.4.2009
- v) 14-1/2006-PCI Pt.I-8031-9169 dt.3.7.2009
- vi) 14-1/2006-PCI/Pt.1/9205-10349 dt.6.7.2009
- vii) 14-1/2006-PCI/Pt.I/14673-15818 dtd.13.8.2009
- viii) 14-1/2009-PCI Pt I/15530-17382 dt.7.3.2011
- ix) 14-1/2011-PCI/Pt.I/24372-26224 dt. 22.9.2011
- x) 14-1/2011-PCI/Pt.I/43873-45701 dt.23.5.2012.
- xi) 14-1/2011-PCI/Pt.I/63440-65566 dt.23.10.2012.
- xii) 14-1/2013-PCI/29029-309358 dt. 23.09.2013
- xiii) 14-1/2013-PCI-Pt-I/44689-46598 dt. 28.01.2014
- xiv) 14-1/2013-PCI-Pt-I/ 9390- 9328 dt. 2.6.2014
- xv) 14-1/2013-PCI-Pt-I/ 15017- 16956 dt. 26.6.2014

### Sir/Madam

With reference to the subject cited above, please find enclosed herewith a copy of letter No. F.1-5/2014(ARC) dt 11.6.2014 received from University Grants Commission, New Delhi regarding online undertaking and NAAC accreditation of the institutions, which is

This is for strict compliance.

Yours faithfully

Achiemnos (ARCHNA MUDGAL)

Registrar-cum-Secretary

Cc to –
Dr. Archna Thakur
Dy. Secretary
University Grant Commission
35, Ferozshah Road Marg
New Delhi – 110 001

(ARCHNA MUDGAL) Registrar-cum-Secretary 29236351, 29292701, 29297721, 23234116



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुरनाष्ट्र जफर गार्ग नई दिल्ली–110002

University Grants Commission Bahadurshah Zafar Marg

New Delhi-110002

No. F.1-15/2014(ARC)

UGC Website: www.ugc.ac.in

June, 2014

11 1 July 2014

To,

Ms. Archna Mudgal Registrar-cum-Secretary, Pharmacy Council of India Combined Council's Building, Kotla Road, Aiwan-e-GhalibMarg, New Delhi-110 002

Sub: ONLINE undertaking and NAAC accreditation of the Institutions- regarding

Dear Sir/ Madam,

With reference to Inter Council & Coordination Committee meeting held on 21.03.2014 in UGC office, you are requested to inform your respective Colleges/ Institutions/ Universities to make use of the ONLINE undertaking and also get your Institutions NAAC accredited. 2<sup>nd</sup> amendment has been published in the gazette on 29.03.2014 regarding ONLINE undertaking (copy enclosed).

Soliciting your kind cooperation in this regard.

Yours faithfully,

(Dr.) (Mrs.) Archana Thakur) Deputy Secretary

ally mare the state of the stat

1



असम्बारण

EXTRAORDINARY

भाग ।।।—खण्ड ४

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ੰ. 101] No. 101] गई दिल्ली, शनिवार, मार्च 29, 2014/ धैत्र 8, 1936 NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 29, 2014/CHAITRA 8, 1936

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 दिसम्बर, 2013

मि.सं. 15-3/2013 (ए.आर.सी.) मार्ट-III.-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, (1856) (3-1856) की धारा (ग) को उप-अनुच्छेद (I) के अनुच्छेद 26 में प्रदक्त अधिकारों के क्रियान्ययन के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्द्वारा निम्न विनियम सृजन करता है, नामत :-

- (1) यह विनियम "उच्चतर शैक्षिक संस्थानों" में रैगिंग के जोखिम के निराकरण (द्वितीय संशोधन) विनियम 2013 कहलायेंगे"।
- (2) इन विनियमों के अनुलग्नकों—I एवं II के अंतर्गत शैंगिंग के जोखिम पर नियंत्रण के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2009 (जो आगे से प्रमुख विनियम के रूप में जाने जाएँगे) इनमें सम्मिलित निम्न दाक्यों का दिलोपन किया जाएगाः—

"सत्यिनिष्ठापूर्वक पुष्टि की गई एवं इस पत्र की विषयवस्तु को पढ़कर इस (दिन) ....... (माह)....... (वर्ष) को मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया।

शपथ आयुक्त"

उपमन्यु बसु,सचिव

[ विज्ञापन-111/4/असा./113/13]

याद टिप्पणी:-- प्रमुख विनियमों को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 27 दिनांक 07.07.2009 में प्रकाशित किया गया था।

1431 GI/2014

(1)

अनुलग्नक−П

शपधळतां के हस्ताक्षर

माता-पिता / अभिमावक द्वारा दी र	क प्रात	बद्धता
---------------------------------	---------	--------

- (माता-पिता/अभिमावक का पूरा नाम छात्र का पूरा आ/आनता/शुआ प्रवेश /पंजीकरण/नामांकन संख्या सहित) के पिता-नाता/अभिनावक, जिसके छात्र को (संस्थान का नाग) में प्रवेश /पंजीकरण/नामांकन संख्या सहित) के पिता-नाता/अभिनावक, जिसके छात्र को (संस्थान का नाग) में प्रवेश दिया गया है, इसने उच्च शैक्षिक संस्थानी, 2009, में रैगिंग के जोखिन पर नियन्त्रण लगाने से संबद्ध यूजीसी विनियनी श्री/श्रीमती/सुश्री त्रका प्रकार तथा है, इसने उपन राज्यम संस्थान, इस्प्या, स्वापन का प्रतासन वर निवनियम संस्थान संस्थित पूर्णासा विभयम (जो आने से विनियम के नाम से कहलायेंगे) को स्थानपूर्वक पढ़ लिया है तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को पूरी तरह
- 2. मैंने, विशिष्ट रूप से इन विनियमों का अयलोकन किया है तथा मुझे इस ब्रात की जानकारी है कि रैगिंग में क्या बात शामिल है।
- 3. मैंने विनियमों की धारा ७ एवं ९.१ का भी दिशेष रूप से अध्ययन किया है तथा मैं पूरी तरह से जागरूक हूँ कि यदि मेरी संतान रेगिंग की अथवा रैगिंग में सहायक होने की सक्रिय अथवा छिये तौर से दोबी पाया/पाई जाती है अथवा रैगिंग को बढ़ावा देने रागा का अवस्था रागा में प्रशासन दान का सामन जनमा एक पार से काला श्रमण मान काला दे प्रशासनिक कार्रवाई का वह के षडयन्त्र का एक हिस्सा होता/होती है तो उस स्थिति में उसके विरुद्ध जिस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई का वह भागीदार होगा / होगी, वह मेरे संज्ञान में है।
- मैं एतदद्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एदं आश्वासन देता/देती हूँ कि..... (क) मेरी संतान ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संतिष्ठ नहीं होगी जिसे विनियमों की घारा 3 के अंतर्गत रैगिंग माना गया
  - (छ) मेरी संतान जान बुझकर अथवा मूलचूक से ऐसे किसी कृत्य में न तो संलिप्त होगी अथवा न ही उसमें सहायक होगी ना ही उसे प्रोत्साहित करेगी जिसे इन विनियमों की घारा 3 के अतर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।
- 5. एतद्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी सतान रैंगिंग की दोषी पाई जाती/पाया जाता है तो यह इन विनियमों की धारा 0.1 के अमृसार दण्ड की भागीदार होगा/होगी जो कि किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह के बिना का भारा ४.१ क अनुसार ४.७० का गांगाधार रागा/ रागा था। का कार्या गां अन्य जानसायक कृत्य के नुपावर या विभा होगा—तथा जो दण्ड मेरी संतान के दिरुद्ध किसी भी दण्ड संबंधी कानून के अथदा वर्तमान में त्यागू किसी भी अन्य कानून के अनुसार होगा।
- 6. एतद्वारा मैं यह घोषित करता / करती हूँ कि यदि मेरी संतान इस देश में विद्यमान किसी भी संस्थान द्वारा रैमिंग की दोषी अथवा एक हिस्से के रूप से दोषी होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के अथवा उसमें सहायक होने कि अथवा षडयन्त्र का एक हिस्से के रूप से दोषी होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के जनमा उत्तर सरावण रूप कि जनमा नवण जनमा रूप किस्त के सार रूप स्थान रूप स्थान रूप स्थान रूप के कारण निकासित नहीं हुई है/हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है. तो मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया आयेगा।

है त

दिन ...

सत्यापित (स्थान) .....

अनुलग्नक–I

<b>छात्र का आश्वासन</b>	
ज्यांकार है। <del>क्रिक्त में प्रश्</del> री	
तरह से संघत हूं भी नर विराम करने अथवा इस विषय में षड्यन्त्र करने के दीर्घ पाया जाता हूं।	
्रे पात आवेतासम् द्वारा ए । वर्षा	
(क) मैं ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं हाऊगा हाऊगा जिस ३० प्राप्त कर विकास कर कर कर किसी व्यवहार 	
(ख) मैं ऐसे किसी आचरण अथवा अनाचरण के काम में न तो भाग हिंगा / हिंगा / हिंगा न हा उसके पड्या में अविश्व उसके पड्या अनाचरण के काम में न तो भाग हिंगा के रूप में माना गया है।	
<ol> <li>मैं, एतद्वारा प्रमाणित करता / करती हैं कि बदि मैं दोषी जाया जाता है तो इन ।वानवना का पार्च के अन्य किसी आपराधिक मामले के प्रति पूर्वाप्रह के मैं दण्ड के लिए तथा ऐसी दण्डात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं जो कि अन्य किसी आपराधिक मामले के प्रति पूर्वाप्रह के मैं दण्ड के लिए तथा ऐसी दण्डात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदाय हैं।</li> </ol>	
6. मैं घोषित करता/करती हूँ कि इस देश के किसी भी संख्वान ने मुझ राना के पढ़-स्त्र में अध्या हम के प्रदेश से बाधित किया मुक्काने में अध्या इसमें भाग लेने के मामले में दोषी पाने के लिए ना तो निष्कासित किया है ना ही प्रदेश से बाधित किया मुक्काने में अध्या इसमें भाग लेने के मामले में दोषी पाने के तिए ना तो निष्कासित किया करती है कि मुक्का पुरा निर्माण करता है कि प्रदेश के ना लिए ना तो निर्माण करता है कि प्रदेश के ना लिए ना निर्माण करता है कि प्रदेश के ना लिए ना निर्माण करता पाई जाती है तो मुझे पूरी जानकारी है कि प्रदेश के ना लिए ना निर्माण करता है कि प्रदेश के ना लिए ना निर्माण करता है कि प्रदेश के ना लिए ना निर्माण करता है कि प्रदेश के ना निर्माण करता है कि प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश करता है कि प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रद	
मेन प्रतेश निरस्त करने का उत्तरदायाय पुत्र पर दाना	
घोषित किया गया दिन माह वर्ष	
शपथकर्ता के हस्ताक्षर	
- नाम	
सत्यापन	
सत्य पर	
सत्यापित किया जाता है कि यह वधनबद्धता मेरे संज्ञान सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई और ना ही अयर्थाय कही गई है।	
इसम् कायत काइ मा बात ना ता उपम् व	

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

#### UNIVERSITY GRANTS COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 25th December, 2013

No. F. 15-3/2013 (ARC) Pt. III.—In exercise of powers conferred under clause (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes

- (1) These regulations may be called the "curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions (second Amendment) Regulations, 2013"
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter referred
  to as the Principal regulations), in the Annexure-I and II of the regulations, the sentences containing the following shall be

"Solemnly affirmed and signed in my presence on this (day) of (month), (year) after reading the contents of this

OATH COMMISSIONER" UPAMANYU BASU, Secy. [ ADVT. III/4/Exty/113/13]

Foot Note: The principal Regulations were published in the Gazette of India, vide notification number 27 dated 04.07.2009.

ANNEXURE-I

#### UNDERTAKING BY THE STUDENT

I. (full name of student with admission/registration/enrolment number) s/o d/o Mr/Mrs/Ms. , having been admitted to (name of the institution) , have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

- I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and (3) administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
- I hereby solemnly aver and undertake that
  - (a) I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
  - (b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

				_			
(5)	I hereby affir Regulations, any law for th	without preju	dice to any other cri	ing, I am li minal action	able for punish that may be tak	ment accord	ing to clause 9.1 of the ne under any penal law or
(6)	account of be	ing found gu	we not been expelled uilty of, abetting or b n is found to be untry	being part of	a conspiracy to	promote, ra	titution in the country on gging; and further affirm to be cancelled.
Declar	ed this	iay of	month of	у	ear.		
							re of deponent
			VE	RIFICATIO	N	Name:	
						nd no part of	the undertaking is false
Verifie	d at <u>(place)</u>	_on this the	(day) of (	(month).	(year)		
							Signature of deponent Name:
					TOTAL PROPERTY.		ANNEXURE-II
			UNDERTAKING	BYPAREN	T/GUARDIA	N	
father/ admitte Raggir	ed to (name	of the Instit ducational I	tution) , have re	eceived a cop hereinafter	/ registration/er	Regulations of	of parent/guardian) mber), having been on Curbing the Menace of carefully read and fully
(2)	I have, in part	icular, perus	ed clause 3 of the Re	gulations an	d am aware as to	o what consti	tutes ragging.
(3)	administrative	action that	perused clause 7 and is liable to be take ely, or being part of	n against m	y ward in case	he/she is fo	lly aware of the penal and und guilty of or abetting
(4)	I hereby soler	nnly aver and	d undertake that				
	(a) My ward Regulation		fulge in any behavio	our or act tha	t may be consti	tuted as ragg	ging under clause 3 of the
	(b) My ward	will not par	ticipate in or abet or under clause 3 of th			f commissio	n or omission that may b

I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force.

1431 91/14-2

						ussion of my war		
Declared	this	_day of	month o	of		year.		
							Si	gnature of deponent
								ime:
							A	ldress:
							Te	lephone/Mobile No.:
					RIFICAT			
Verified t and nothing	hat the co	ntents of this u in concealed or	ndertaking misstated	are true to therein.	the best of	f my knowledge a	ind no part of	the undertaking is fall
Verified a	st _(Place	on this the (	day) of	(month)	(year)	-		
								^.
								Signature of depor
					9			
						- 22		
	19							